प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, एस.बी.एस.मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400001
Department of Communication, Central Office, S.B.S.Marg, Fort, Mumbai-400001
फोन/Phone: 022- 22660502

आज़ादी का अमृत महोत्सव

13 जनवरी 2022

वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा एफ़एसडीसी उप-समिति की 28वीं बैठक

वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की उप-समिति की बैठक आज (13 जनवरी 2022) आभासी रूप से आयोजित की गई। श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैठक की अध्यक्षता की।

उप-समिति ने वैश्विक और घरेलू अर्थव्यवस्था के साथ-साथ वित्तीय प्रणाली के विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रमुख गतिविधियों की समीक्षा की और कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर से उभरने वाले परिदृश्य पर सदस्यों के आकलन की चर्चा की।

एफएसडीसी-एससी ने विभिन्न अंतर नियामक मुद्दों और विनियमित संस्थाओं द्वारा आधार आधारित ई-केवाईसी और आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के उपयोग से संबंधित मामलों पर भी चर्चा की। इसने इसके दायरे में आने वाले विभिन्न तकनीकी समूहों की गतिविधियों और विभिन्न राज्यों / संघ शासित प्रदेशों में राज्य स्तरीय समन्वय समितियों (एसएलसीसी) के कामकाज की भी समीक्षा की। सदस्यों ने महामारी के फिर से उभरने से उत्पन्न चुनौतियों के सामने वित्तीय बाजारों और वित्तीय संस्थाओं में लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए भावी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने और सक्रिय रूप से कार्य करने का संकल्प लिया।

बैठक में उप-समिति के सदस्य- श्री टी.वी. सोमनाथन, वित्त सचिव और सचिव, व्यय विभाग; श्री अजय सेठ, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग; श्री तरुण बजाज, सचिव, राजस्व विभाग; श्री राजेश वर्मा, सचिव, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय; श्री अजय प्रकाश साहनी, सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय; डॉ. शशांक सक्सेना, सचिव, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद; श्री अजय त्यागी, अध्यक्ष, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी); श्री सुप्रतिम बंद्योपाध्याय, अध्यक्ष, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफ़आरडीए); रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर - डॉ. माइकल देबब्रत पात्र और श्री टी. रबी शंकर; तथा रिज़र्व बैंक के कार्यपालक निदेशक डॉ. ओ.पी.मल्ल, श्री जे.के. दाश और श्री रोहित जैन उपस्थित थे। सुश्री वंदिता कौल, अपर सचिव ने वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफ़एस) का प्रतिनिधित्व किया। श्रीमती टी. अलामेलु, पूर्णकालिक सदस्य, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) और डॉ. नवरंग सैनी, अध्यक्ष (अतिरिक्त प्रभार), भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) ने अपने-अपने संस्थानों की ओर से भाग लिया।

(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/1538